न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाड़िया, R.A.S.

पत्रावली संख्या : **36/12 (अपील)**

GCMS No. : 2012/00050

अनवान्

1. श्री सोहनलाल पिता भंवरलाल मीणा निवासी लदानी तह. मावली।

.............अपीलान्ट्

बनाम

1. श्री विरमा पिता भेरा भील निवासी डबोक तह. मावली।
2. श्री लेम्बाराम पिता हीरा भील निवासी डबोक तह. मावली।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।
4. ग्राम पंचायत नान्दवेल जरिये सरपंच ग्राम पंचायत नान्दवेल तह. मावली।
5. पटवारी, पटवार हल्का नाहरमगरा तह. मावली।

......................रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित—1. श्री शंकरलाल डांगी, अधिवक्ता अपीलान्ट्स।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

अपील विरुद्व निर्णय ग्रा.प. नान्दवेल, बाबत ना. सं. 7403 दि. 11.05.2012

—: : निर्णय : :—

दिनांक : 02.11.2020

1. अपीलाण्ट् द्वारा अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत अपील निर्णय ग्राम पंचायत नान्दवेल बाबत् नामान्तरण संख्या 7403 दिनांक 11.05.2012 के विरूद्व मय धारा 5 अवधि अधिनियम के तहत् प्रस्तुत की गई। अपील के संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय का कथित आदेश न्याय व विधि के विरूद्व हैं विवादित आराजी के सम्बन्ध में अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट्स व अन्य के विरूद्व घोषणा व निषेधाज्ञा का वाद व उसके साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र न्यायालय उप जिला कलक्टर मावली में तारीख 15.09.2006 को पेश किया जिस पर तारीख 02.01.2008 को दोनों पक्षों को रेकार्ड व मौके की

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2020.12.04 14:37:44 IST
Reason: SelfAttested

यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिया जो विचाराधीन है, जिसके मुकदमा नम्बर 197/06 वादपत्र हैं। कथित वादपत्र के विचाराधीन होते हुए मोती, द्वारा तारीख 26.10.2008 को विवादित आराजी रेस्पोडेन्ट्स नम्बर 1, 2 व अन्य को नुमाईशी विक्रय कर दिया जिसके आधार पर नामान्तरकरण नम्बर 6787 खुलवा स्वीकृत करा लिया। इस नामान्तरकरण के विरूद्व अपीलान्ट द्वारा एस.डी.ओ. मावली में अपील प्रस्तुत की जो तारीख 02.07.2009 को निरस्त कर दी गयी जिसके विरूद्व अपीलान्ट ने द्वितीय अपील न्यायालय अतिरिक्त संभागीय उदयपुर में पेश की जो तारीख 19.01.2011 को स्वीकार कर नामान्तरकरण 6787 को निरस्त कर दिया जिसके मुकदमा नम्बर 90/2009 अपील हैं। जिसमें रेस्पोडेन्ट्स सभी पक्षकार हैं। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने कथित आदेश पारित करने में भारी भूल की हैं।

2. यह कि उक्त वाद के विचाराधीन होते हुए व नामान्तरकरण नम्बर 6787 निरस्त होते हुए रेस्पोडेन्ट्स ने कथित वाद व नामान्तरकरण नम्बर 6787 के निरस्ती के आदेश को छिपाते हुए आपसी मिलीभगत से नुमाईशी आपसी बंटवारा बिना तहसीलदार से आदेश पारित कराया है। जबकि इन सभी को मालुम था कि कथित नामान्तरकरण नम्बर 6787 निरस्त हो चुका है फिर भी गलत इन्द्राज के आधार पर आपसी बंटवारा का आदेश पारित करने में विधिक भूल की हैं जो अवैध होकर बिना अधिकार के है तथा तहसीलदार ने भी अपने कर्तव्य के बाहर जाकर बिना अधिकार के कथित आदेश पारित किया है। जिसके विरूद्व अपीलान्ट ने अलग अपील प्रस्तुत कर दी हैं।

3. यह कि रेस्पोडेन्ट ने आपस में मिलकर अपीलान्ट को नुकसान पहुंचाने की नियत से व स्वयं को नाजायज लाभ पहुंचाने की नियत से कथित आदेश पारित किया है जो अवैधानिक होकर निरस्त होने योग्य हैं। रेस्पोडेन्ट्स का विवादित

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2020.12.04 14:37:44 IST
Reason: SelfAttested

भूमि में कोई हक व अधिकार नहीं हैं न कब्जा है, न रेस्पोडेन्ट्स विवादित भूमि के खातेदार हे ऐसी अवस्था में कथित आराजी को संपरिवर्तन करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है तथा तहसीलदार को चाहिए था कि नामान्तरकरण नम्बर 6787 जो न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त उदयपुर के यहां से निरस्त कर दिया गया हैं। उसका अमल दरामद कर रेस्पोडेन्ट्स का नाम हटा देना चाहिए था।

4. अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का कथित निरस्त फरमाया जावे तथा इस अपील का खर्चा रेस्पोडेन्ट्स से अपीलान्ट को दिलाया जावें।

5. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। प्रकरण में अधिवक्ता अपीलान्ट् की बहस सुनी गई।

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट्स द्वारा अपनी बहस में दस्तावेज पेश कर अपील में अंकित तथ्यो को दोहराया एवं नामान्तकरण विधि विरूद्व होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाने का निवेदन किया।

7. हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट् की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। नामान्तरकरण सं. 7403 दिनांक 11.05.2012 को ग्राम पंचायत नान्दवेल द्वारा पारित किया गया है। अपीलाण्ट्स द्वारा अपील के साथ धारा 5 अवधि अधिनियम का भी प्रस्तुत किया हैं। अपीलान्ट द्वारा जानकारी में आते ही उक्त अपील अन्दर मयाद न्यायालय में प्रस्तुत करना बताया हैं। अतः जानकारी से अपील अन्दर मयाद होने से प्रार्थना पत्र धारा 5 अवधि अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में अपीलान्ट् द्वारा कथन किया कि रेस्पोडेन्ट्स

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2020.12.04 14:37:44 IST
Reason: SelfAttested

के विरूद्व घोषणा का वाद प्रस्तुत किया जिसमें दिनांक 02.01.2008 को दोनों पक्षों को रेकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखने के आदेश पारित किये। वाद के विचाराधीन होते हुए मोती द्वारा दिनांक 26.10.2008 को रेस्पोडेन्ट्स सं. 1, 2 व अन्य को भूमि को विक्रय कर नामान्तरकरण 6787 खुलवा दिया जिसकी अपील एस.डी.ओ.मावली में की, जो 02.07.2009 को निरस्त हुई। जिसकी द्वितीय अपील न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त उदयपुर में की जिसके अपील संख्या 90/09 होकर 19.01.2011 को अपील स्वीकार होकर नामान्तरकरण सं. 6787 को निरस्त कर दिया गया। उसके बावजूद भी बंटवाडें के आदेश पारित कराकर अन्य कार्यवाही कर ली गई है इसलिए नामान्तरकरण संख्या 7403 को निरस्त किया जाने का निवेदन किया हैं।

8. हमने पत्रावली का अध्ययन किया। नामान्तरकरण सं. 7403 के अवलोकन से उक्त नामान्तरकरण को ग्राम पंचायत नान्दवेल द्वारा पारित किया गया हैं। नामान्तरकरण के अवलोकन से उक्त नामान्तरकरण में भूमि की किस्म आबादी अंकित हैं। अतः आबादी भूमि का जो नामान्तरकरण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया है उसे सुनने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं हैं। अतः अपील का श्रवणाधिकार इस न्यायालय को नहीं होने से उक्त अपील न्यायालय हाजा में चलने योग्य नहीं हैं।

9. अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 02.11.2020 को खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाड़िया)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2020.12.04 14:37:44 IST
Reason: SelfAttested